

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठारीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 145/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
1. जेताराम पुत्र पुराराम 2. माडूदेवी पत्नी पुराराम 3. मोहनराम पुत्र पुराराम 4. रामाराम पुत्र पुराराम जाति कुम्हार, निवासी काश्मीर तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. ताजाराम पुत्र डूंगराराम 3. पूनमाराम पुत्र डूंगराराम 4. हेमीदेवी पत्नी डूंगराराम 5. पेमाराम पुत्र रूपाराम 6. बालाराम पुत्र रूपाराम 7. भैराराम पुत्र रूपाराम 8. सोमाराम पुत्र रूपाराम 9. हनुमानराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार निवासी काश्मीर तहसील शिव, जिला बाडमेर 10. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक उण्डू

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थीगण :- श्री बालाराम गोदारा।

अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 9 :- श्री जेताराम कुमावत।



—:: आदेश ::—

दिनांक : 17.10.2025

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा काश्मीर, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1160/1074 रकबा 3.3832 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थी के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 से 4 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1162/1075 रकबा 3.2860 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 5 से 9 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1164/534 रकबा 3.4803 हैक्टेयर का आया हुआ है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के मध्य सीमा चिन्ह कायम है तथा अपने अपने कब्जा काश्त में काबिज है। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 9 की ओर जरिये अधिवक्ता सहमति जवाब पेश कर उक्त विवादित आराजी की तरमीम दुरस्ती बाबत् मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतविरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है, जिससे सीमा रेखा की दिशा में परिवर्तन हुआ है। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'बी' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उभयपक्ष उपस्थित खातेदारान् व मौतविरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'बी' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 से 9 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतविरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं होने से मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है, जिससे सीमा रेखा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। रेकॉर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'बी' अनुसार पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर उभयपक्ष उपस्थित खातेदारान् व मौतविरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थीगण पक्षकारान् द्वारा जरिये अधिवक्ता सहमति जवाब भी पेश किया गया है। साथ ही उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'बी' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा काश्मीर, तहसील शिव में प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 1160/1074 रकबा 3.3832 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 4 के खेत खसरा नम्बर 1162/1075 रकबा 3.2860 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 5 से 9 के खेत खसरा नम्बर 1164/534 रकबा 3.4803 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'बी' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'बी' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



आदेश आज दिनांक 17.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपपरमंडल अधिकारी
शिव (बाइमेर)

उपपरमंडल अधिकारी
शिव (बाइमेर)